



**प्रेस नोट कुर्की थाना एका दिनांक 02-06-2025 जनपद फिरोजाबाद ।**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना एका पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर अभियुक्त रणजीत यादव की मूल्य 15 लाख 08 हजार आठ सौ बहत्तर रुपये (15,08,872 रुपये) की अचल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।**

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों / आदतन अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....
- गैंगलीडर अभियुक्त रणजीत यादव अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, बल्वा, लूट, मारपीट तथा अन्य आपराधिक अभित्राष जैसे अपराध कारित करता है ।
- गैंगलीडर अभियुक्त रणजीत पर जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत.....
- गैंगलीडर अभियुक्त रणजीत यादव द्वारा संगठित अपराध कारित कर हत्या, बल्वा, लूट, मारपीट करते हुए अवैध सम्पत्ती अर्जित कर जमीन खरीदी गयी है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में थाना एका पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना जसराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित गैंगलीडर अभियुक्त रणजीत यादव पुत्र बादाम सिंह निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में चल / अचल सम्पत्ति मूल्य 15 लाख 08 हजार आठ सौ बहत्तर रुपये (15,08,872 रुपये) की चल / अचल सम्पत्ती को आज दिनांक 01-06-2025 को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । गैंगलीडर अभियुक्त रणजीत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या, बल्वा, लूट, मारपीट जैसे अपराध कारित करता है । अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है । रणजीत द्वारा संगठित अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करते हुए कृषि भूमि की खरीद फरोख्त की गयी है ।

**गैंग लीडर रणजीत यादव की थाना एका पुलिस टीम द्वारा कुर्क करते हुए जब्तीकरण की गयी सम्पत्ती का विवरण निम्नवत है:-**

<b>क्र०सं०</b>	<b>सम्पत्ती का स्वामी</b>	<b>सम्पत्ती का प्रकार</b>	<b>मूल्यांकन रूपयों में</b>
1	रणजीत पुत्र बादाम सिंह निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिराजाबाद ।	मौजा खुदादादपुर तहसील जसराना के गाटा संख्या 226 रकवा 2.744 है० का 1/40 भाग (सडक व आबादी से सटी कृषि भूमि)	4,19,832.00 रूपये
2	रणजीत पुत्र बादाम सिंह निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिराजाबाद ।	मौजा सलेमपुर खुटियाना तहसील जसराना के गाटा संख्या 763स रकवा 0.405 है० का 1/5 भाग सामान्य कृषि भूमि	3,24,000.00 रूपये
3	रणजीत पुत्र बादाम सिंह निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिराजाबाद ।	मौजा खुदादादपुर तहसील जसराना के गाटा संख्या 226 रकवा 2.744 है० का 68/2774 भाग (सडक व आबादी से सटी कृषि भूमि)	4,16,160.00 रूपये
4	रणजीत पुत्र बादाम सिंह निवासी खुदादादपुर थाना जसराना जनपद फिराजाबाद ।	मौजा खुदादादपुर तहसील जसराना के गाटा संख्या 319 रकवा 1.299 है० का 32/1299 भाग (सामान्य कृषि भूमि) व गाटा संख्या 226 रकवा 2.744 है० का 34/2744 भाग (सड व आबादी से सटी कृषि भूमि)	3,48,880.00 रूपये
<b>गैंग लीडर अभियुक्त रणजीत यादव की कुर्क गयी सम्पत्ती का मूल्य रूपयों में-----</b>			<b>15,08,872.00 रूपये</b>
-			

**आपराधिक इतिहास गैंग लीडर रणजीत यादव-----**

- 1-मु०अ०सं० 68/2018 धारा 392 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-मु०अ०सं० 304/2018 धारा 420,467,468,471,504,506 भादवि थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- 3-मु०अ०सं० 306/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- 4-मु०अ०सं० 551/2018 धारा 323,504,506 भादवि थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 5-मु०अ०सं० 421/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- 6-मु०अ०सं० 164/2020 धारा 394 भादवि थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।
- 7-मु०अ०सं० 50/2021 धारा 323,504,506 भादवि थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- 8-मु०अ०सं० 04/2024 धारा 147,148,342,302,506 भादवि थाना जसराना फिरोजाबाद ।
- 9-मु०अ०सं० 10/2024 धारा 307,504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
- 10-मु०अ०सं० 02/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।